

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

क्रमांक एफ 12-28/2016/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से दिनांक 02.09.1997 में प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि से संबंधित नियम 6 की कंडिका (ख) में निम्न संशोधन किये जाने हैं -
नियम-6 कंडिका 'ख' -

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होने का कलेक्टर का प्रमाणपत्र के स्थान पर निम्न संशोधन -

"ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा/शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद् के क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा/सील।"

इसी प्रकार मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ 10-1/2006/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 25.01.2006 के द्वारा राजपत्र 1997 में नियम 06 की कंडिका 'च' को विलोपित किया गया था।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि से संबंधित नियम 1997 के नियम 6 की कंडिका (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए अर्थात् -

कंडिका 'च' - रोगी का समग्र आई.डी. अथवा आधार कार्ड का क्रमांक।

कंडिका 'छ' - रोगी द्वारा पूर्व में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ लिया/नहीं लिया है, संबंधी घोषणा पत्र।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(इच्छित नूतनपाले)
अवरसचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भा. नं.-04/S.I.A.P./03
दिनांक 18/11/17

संचालक (K.I.S.) पत्र
आवक दिनांक 18/11/17
जाबक दिनांक 18/11/17


18/11/17

19/11/17

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 12-28/2016/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय ।
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन, भोपाल ।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल। (कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें)
 6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 9. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 10. गार्ड फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

